**संख्या-29/2019/522/12-5-2019-ब०-03/2018**

प्रेषक,

बृजराज सिंह यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-5** **लखनऊ:: दिनांक:: 22 अप्रैल, 2019**

विषय:- इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एस-35/लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2019-20, दिनांक 09 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू० 1260.48 लाख के सापेक्ष इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजना के अन्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार धनराशि रू0 338.85 लाख (रूपये तीन करोड़ अड़तिस लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

| लेखा शीर्षक/योजना का नाम | 2019-20 में प्राविधान | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|
| 2401-फसल कृषि कर्म<br>111-कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी<br>01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं | | |
| 0103-इन्टीग्रेटेड स्कीम आन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स | 1260.48 | 338.85 |
| योग | **1260.48** | **338.85** |

2- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन तथा पत्र संख्या-2-3/2015-ए.एस.आई.ई.एस, दिनांक 21.04.2015 द्वारा जारी प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है।

3- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। कृषि निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

4- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर है, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टेण्टड्र्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-11, दिनांक 29.05.2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103- इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक एण्ड स्टैटिस्टिक्स के अन्तर्गत मानक मदो के नामें डाला जायेगा।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आदेश उक्त शासनादेश में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय
बृजराज सिंह यादव
विशेष सचिव।

**संख्या-29/2019/522(1)/12-5-2019, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/ आडिट) - प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन,उ0 प्र0, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
10. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय), कृषि भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3।
12. गार्ड फाइल।

**संलग्नक-यथोक्त।**

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पत्र संख्या-29/2019/522/12-5-2019-ब-03/2018 दिनांक 22 अप्रैल, 2019 का संलग्नक।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 111-कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी, 01-केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं, 0103-इन्टीग्रेटेड स्कीम ऑन एग्रीकल्चर सेन्सस, इकोनामिक्स एण्ड स्टैटिस्टिक्स (100 प्रतिशत भारत सरकार की सहायता) योजनान्तर्गत रू0 338.85 लाख की वित्तीय स्वीकृति का मानक मदवार विवरण:-

| मानक मद | वर्ष 2019-20 में प्राविधान | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|
| 01- वेतन | 860.68 | 215.17 |
| 03-महंगाई भत्ता | 129.10 | 32.27 |
| 04-यात्रा व्यय | 50.00 | 12.50 |
| 05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1.00 | 0.25 |
| 06-अन्य भत्ते | 5.00 | 1.25 |
| 08-कार्यालय व्यय | 17.00 | 4.25 |
| 11-लेखन सामग्री और प्रपत्रों की छपाई | 17.00 | 4.25 |
| 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 10.00 | 2.50 |
| 42-अन्य व्यय | 10.00 | 2.50 |
| 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 2.00 | 0.50 |
| 45-अवकाश यात्रा व्यय | 1.00 | 0.25 |
| 46-कम्प्यू0 हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय | 14.00 | 3.50 |
| 47-कम्प्यू0 अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी | 10.00 | 2.50 |
| 49-चिकित्सा व्यय | 7.00 | 1.75 |
| 51-वर्दी व्यय | 0.05 | 0.01 |
| 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) | 31.65 | 31.65 |
| 55-मकान किराया भत्ता | 86.39 | 21.60 |
| 56-नगर प्रतिकर भत्ता | 8.61 | 2.15 |
| योग | **1260.48** | **338.85** |

(रूपये तीन करोड़ अड़तिस लाख पच्चासी हजार मात्र)

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।